

यालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 16/2021 शांतिबाई बनाम सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 136 काश्तकारी अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा सेमरडा पटवार हल्का सेमरडा के खसरा संख्या 100 रकबा 0.58 कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0 पर प्रार्थी क्रमांक 01 से 03 का नाम कमलाबाई पति मुलचन्द बलाई, जीवराज पुत्र मुलचन्द बलाई व शांतिबाई पुत्री मुलचन्द बलाई दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जाति बलाई कि जगह सालवी कि जावे ।

प्रार्थना पत्र पटवार हल्का सेमरडा को जाँच हेतु प्रेषित किया गया । पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रार्थी क्रमांक 01 से 03 तक कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर जाती बलाई दर्ज है। प्रार्थी क्रमांक 01 से 03 तक के दस्तावेजों आधार कार्ड में एवं राशनकार्ड में जाति सालवी दर्ज है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, एवं राशनकार्ड अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीया क्रमांक 01 से 03 तक कि जाति पटवार हल्का की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने पर जाहीर होता है कि राजस्व रेकार्ड में जाति बलाई के स्थान पर सम्मानजनक जाति सालवी किया जाना न्यायोचित है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, संलग्न दस्तावेज, का अवलोकन कर गहन मनन करने पर मौजा सेमरडा पटवार हल्का सेमरडा के खसरा संख्या 100 रकबा 0.58 कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0 पर प्रार्थी क्रमांक 01 से 03 तक का नाम कमलाबाई पति मुलचन्द बलाई, जीवराज पुत्र मुलचन्द बलाई शांतिबाई पुत्री मुलचन्द बलाई के वजाये कमलाबाई पति मुलचन्द सालवी जीवराज पुत्र मुलचन्द सालवी, शांतिबाई पुत्री मुलचन्द सालवी किया जावे।

तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

आज दिनांक 24.09.2021 को पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



  
उपखण्ड अधिकारी  
छोटीसादड़ी